

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ 150 /2024 दिनांक : 11.07.2024

श्रीमती आमा गहलोत (RJ00937), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर जिला) को दिनांक 15.07.2024 से 08.08.2024 तक 25 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 13.07.2024 से 14.07.2024 एवं 09.08.2024 से 11.08.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती गहलोत की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर जिला) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर जिला) के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/106/2015/ 5692

दिनांक : 11.07.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर को उनके पत्रांक 3626 दिनांक 06.06.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती आमा गहलोत (RJ00937), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर जिला)।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर जिला)।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर जिला)।


11/7/2024
सहायक रजिस्ट्रार